बिहार सरकार

<u>ऊर्जा विभाग</u>

प्रत्रांकः– प्र02/बोर्ड विविध (Joint Venture)-30/2012(पार्ट 1) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 1699.36 करोड़ की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की कुल 170.00 करोड़ रूपय की स्वीकृत राशि में से शेष राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में 21.50 करोड़ (एक्कीस करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेषः स्वीकृत।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार ने 12 वीं योजना में विद्युत संचरण की जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जना है। विद्युत संचरण की जरूरतों को पूरा करने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड बनाने एवं एकरारनामा करने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5651 दिनांक 27.12.2012 द्वारा प्रदान की गई।

2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा वर्तमान में संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने की योजना का संपूर्ण कार्य (फेज–IV, भाग I) की कुल लागत 1699.39 करोड़ रूपये आंकलित की गई है। तदनुसार, एकरारनामा के शर्तो के अनुरूप योजना (फेज–IV, भाग I)की कुल राशि यथा 1699.39 करोड़ रूपये का 80% बाजार ऋण से प्राप्त होगा तथा 20% हिस्सा पूँजी 340.00 करोड़ रूपये होता है जिसका 50% यानि 170.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा लगाया जाना है।

3. बिहार ग्रिड कम्पनी द्वारा विद्युत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के लिए प्रावधानित राशि में से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूंजी के रूप में 57.50 करोड़ रूपये राज्यादेश संख्या–2464 दिनांक–24.08.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया । वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश सं0–2203, दिनांक–21.07.2016 के द्वारा 50.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या–907 दिनांक–15.03.2017 के द्वारा 31.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 148.50 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। कार्य की प्रगति को देखते हुए, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि के अतिरिक्त शेष राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 21.50 करोड़ रूपये की मॉग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 1699.36 करोड़ की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की कुल 170.00 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि में से शेष राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में 21.50 करोड़ (एक्कीस करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि बजट मांग सं0–10– मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड विपत्र कोड 10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401 निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ, उपशीर्ष– 0046– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल0 8448001200046 एव प्राप्तियाँ–के0–8448001200046 में जमा की जायेगी।

7. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागर में खोले गए पी0एल0 खाता संख्या PLA274 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र02/बोर्ड विविध (Joint Venture)-30/2012 के पृष्ठ संख्या 95/टि0 पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र02/बोर्ड विविध (Joint Venture)-30/2012(पार्ट 1) पृष्ठ संख्या–25/टि0 पर दिनांक–25.06.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र02/बोर्ड विविध (Joint Venture)-30/2012(पार्ट 1) **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र02/बोर्ड विविध (Joint Venture)-30/2012(पार्ट 1) 1845 **पटना, दिनांक–** 02/07/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/सहायक आतंरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।